चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 हारुन रशीद खाँ व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गया प्रसाद अनुरागी पुत्र स्व0 पुन्ना निवासी ग्राम रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक सफेद बोरी में 02 किलो 300 ग्राम हरा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप मे धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

2 किलो 300 ग्राम हरा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री हारुन रशीद खाँ थाना भरतकूप

2.आरक्षी अखिलेश तोमर

3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह

(4). आज दिनाँक 21.12.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार कर्वी में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सुश्री पूजा साहू,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 03 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(I). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार मय हमराह आरक्षी इमरान खान व आरक्षी राहुल यादव द्वारा मु0अ0सं0 65/23 धारा 386,120बी,201,186,506,34 भादवि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 66 आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त चिन्टू कहार पुत्र धन्नू कहार निवासी जीजीआईसी कालेज के पास कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(II). उ0नि0 श्री बंश नारायण सिंह थाना मऊ मय हमराह आरक्षी संदीप यादव द्वारा मु0अ0सं0 257/24 धारा 419,420,467,468,471 के वांछित अभियुक्त रामसुहावन पुत्र स्व0 रामकृपाल निवासी ग्राम अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(III). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी शाकिर अली व आरक्षी चंदन विश्वकर्मा द्वारा मु0अ0सं0 149/24 धारा 419,420,467,468 भादवि0 के वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी सखौहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक 21.12.2024 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में आयोजित होने वाली राज्य/प्रवर अधिनस्थ सेवा(प्रा0) परीक्षा -2024 के परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कालेज, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कॉलेज सीतापुर एवं श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इण्टर कॉलेज कर्वी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, डीवीआर कंट्रोल रूम कक्ष, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, कक्षाओं में सीटिंग प्लान, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों से ली गई।
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरा कक्षाओं में डीबीआर सिस्टम नहीं लगा है, और कंट्रोल रूम नहीं बना है, उसको तत्काल संबंधित संस्था को निर्देश देकर बनवाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए, जनपद में कुल 09 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 4032 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया की परीक्षा को सकुशल, शांन्ति पूर्ण संपन्न कराने के लिए 09 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 09 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं इसके साथ ही साथ केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और कहां की परीक्षा के दौरान सभी कैमरे संचालित रहना चाहिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कक्षाओं में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, सह केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों से कहा कि लोक सेवा आयोग के निर्देशों के क्रम में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना हम आप सबका दायित्व है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान कहीं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने व सावधानी पूर्वक ड्यूटी करने तथा समय से ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु बताया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा, तहसीलदार कर्वी श्री वाचस्पति सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह, सब रजिस्टार कर्वी श्री राजेश कुमार सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह सहित संबंधित विद्यालयों के केंद्र व्यवस्थापक सह केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों से 36 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़ मय हमराह आरक्षी हिमांशू द्वारा अभियुक्त श्यामबाबू उर्फ छोटू पुत्र राजकरन निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ मय हमराह आरक्षी नन्दलाल व महिला आरक्षी राखी देवी द्वारा अभियुक्ता फूलकली आदिवासी पत्नी साधु आदिवासी निवासी हनुमानगंज थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 19 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

\

(8). आज दिनाँक 21.12.2024 को अपर जिलाधिकारी उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा जनपद आयोजित होने वाली राज्य/प्रवर अधिनस्थ सेवा(प्रा0) परीक्षा -2024 के परीक्षा केन्द्र सीआईसी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एडीएम द्वारा परीक्षा केन्द्र पर प्रयाप्त सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, डीवीआर कंट्रोल रूम कक्ष, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, कक्षाओं में सीटिंग प्लान, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी परीक्षा केन्द्र के संस्थापक से ली गयी तथा सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
एएसपी द्वारा बताया गया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान कहीं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने व सावधानी पूर्वक ड्यूटी करने तथा समय से ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु बताया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 21.12.2024 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर नं0 31/2020 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. दशरथ पुत्र सुखलाल 2.सुखलाल पुत्र बाबूलाल निवासीगण ग्राम लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500-2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री एस0के0 यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एससी एसटी एनडीपीएस कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 21.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त राकेश रैकवार पुत्र भाऊराम निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 20.07.2019 को प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राकेश रैकवार उपरोक्त को 02 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 475/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना कोत0 कर्वी में

नियुक्त उ0नि0 श्री आनन्द कुमार शुक्ला द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 15.03.2020 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2020 धारा 302,323,504,120बी भादवि0 व 30 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. कमलेश रैकवार पुत्र रामखेलावन 2. राहुल रैकवार पुत्र कमलेश रैकवार निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व कुल 21,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.12.2020 को वादी आकाश सिंह पुत्र रज्जन निवासी प्रसिद्धपुर द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्त 1.कमलेश रैकवार 2. राहुल रैकवार उपरोक्त द्वारा मेरे दादा व भाई शुभम को गाली गलौच करना व मना करने पर लाइसेन्सी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी,मुझे व मेरी माँ को लाठी दण्डों से मारा। इस सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 187/2020 धारा 302,323,504,120बी भादवि0 व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की गयी। दिनाँक 26.02.2021 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(12). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 21.12.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2009 धारा 364 भादवि0 व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र चुन्ना उर्फ रामलाल यादव निवासी बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24.06.2009 को वादी मलकिनिया पत्नी चुन्नीलाल निवासी ठीकापुरवा मजरा छीतुपुर थाना बहिलपुरवा द्वारा थाना बहिलपुरवा पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर प्रार्थिया के पति को बंदूकों व राइफल के बल पर

अपहरण कर लिया है। घटना की सूचना पर थाना बहिलपुरवा पर मु0अ0सं0 321/2009 धारा 364 भादवि0 व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर श्री उदयशंकर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 15.09.2009 को अभियुक्त की गिरफ्तार कर दिनाँक 20.04.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(13). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 21.12.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2022 धारा 452,324,376,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रिंकू सिंह उर्फ रिंकू राजा पुत्र पहलवान सिंह निवासी तरांव थाना भरतकूप को 10 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 03.06.2022 को एक वादी द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना पर थाना भरतकूप पर मु0अ0सं0 62/2022 धारा 452,324,376,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री सुबेदार बिन्द द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 17.02.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।